निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 675) पटना, शुक्रवार, 23 अगस्त 2013

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
21 अगस्त 2013

सं0 सं0का0–1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)–05–02/2011(पार्ट)–1090—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) की धारा–8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।
(2) यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम–8(क), (ख)(iv), (ख)(v) एवं (घ)(iv) में संशोधन। – बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम–8(क) की पांचवी पंक्ति, (ख)(iv) की पहली पंक्ति, (ख)(v) के चौथे एवं पांचवे परन्तुक की तीसरी पंक्ति तथा (घ)(iv) की पहली पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक "15/– (पन्द्रह) रुपये" अंक, शब्द एवं कोष्टक "20/– (बीस) रुपये" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बृज राज राय,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 675-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in